56

न्यायालय राजस्व मण्डल, मं0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 300-तीन/2008 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 3-12-2007 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 626/2006-07 अपील

1- देवेन्द्र प्रसाद 2- जीवेन्द्र प्रसाद
3- नागेन्द्र प्रसाद 4- ज्ञानेन्द्र प्रसाद
सभी पुत्रगण बैजनाथ राम निवासी
ग्राम लौआर पैपखार तहसील
सिहावल जिला सीधी ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 19-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 626/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-12-2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम लौआर पैपखार की भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 5-38 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) रघुनाथ राम पुत्र चन्द्रभान राम के नाम वर्ष 1944-45 में गैर हकदार कृषक के रूप में दर्ज होना बताते हुये आवेदकगण ने उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के न्यायालय में भूमिस्वामी दर्ज किये जाने की मांग को लेकर दावा प्रस्तुत किया। उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 46 अ-1/1998-99 पॅजीबद्व कर आदेश दिनांक 28-10-99 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि को आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष इस प्रकरण में अनियमिततायेंक रने की शिकायत होने पर जांच उपरांत उप बंदोवस्त अधिकारी के प्रकरण कमांक 46 अ-1/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 28-10-99 को पुनरावलोकन में लिये जाने हेतु अनुमति देने वावत् प्रस्ताव कलेक्टर सीधी को भेजा गया, जिस पर से कलेक्टर सीधी ने आदेश दिनांक 29-1-2007 से पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 1/2006-07 पुनरावलोकन पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 5-4-2007 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर खसरा/खतौनी में संदिग्ध प्रविष्टियॉ पाने से उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 28-10-99 निरस्त करते हुये भूमि पूर्ववत् दर्ज करने का निर्णय लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 626/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-12-2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास व्दारा की गई जांच एंव छानवीन में पाया गया है कि वर्ष 1958-59 की खतौनी में गैर हकदार भूमिस्वामी के रूप में आवेदकगण का नाम दर्ज नहीं है तथा इन वर्षो में ग्राम लौआ पेपखार की मूल खतौनी में गैर हकदार कृषक अथवा गैर हकदार भूमिस्वामी का कोई खाता ही नहीं है । उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी व्दारा आवेदकगण के पूर्वजों को वर्ष 1958-59 में गैर हकदार भूमिस्वामी मानने में त्रृटि की गई थी जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 28-10-99 को पुनरावलोकन में लेने में त्रृटि नहीं की गई है।

5/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण वादग्रस्त भूमि पर गैर हकदार कृषक दर्ज रहे हैं जिसके आधार पर भूमिस्वामी घोषित करने की मांग उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी से की गई है उप बंदोवस्त अधिकारी ने जांच करके आवेदकगण को गैर हकदार कृषक पाकर भूमिस्वामी घोषित किया है। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 3-12-2007 में उक्त पर इस प्रकार विवेचना की गई है :-

" उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के न्यायालय के आक्षेपित प्रकरण कमांक 46 अ-1/98-99 बंदोवस्त अभिलेखागार से आहुत किया गया। प्रकरण में संलग्न सन 58-59 की खतौनी व खसरों की नकलें संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण वहां के हैड कापिस्ट से नकल जारी होने संबंधी प्रतिवेदन भी लिया गया था जिस पर भिन्नता पाई गई थी और इसी आधार पर कलेक्टर ने पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की थी। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के व्दारा जो नकल खतौनी पेशी की गई थी वह संदेहास्पद थी। "

अपर आयुक्त व्दारा उक्तानुसार की गई विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदकगण वादग्रस्त भूमि के गैर हकदार कृषक नहीं रहे है अपितु उनके व्दारा प्रस्तुत खतौनी एंव खसरे की नकलें सही नहीं पाई गई है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी अधिकारी गोपद बनास के प्रकरण कमांक 01/2008-09 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 5-4-2007 में हस्तक्षेप नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास व्दारा पारित आदेश दिनांक 5-4-2007 एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 3-12-2007 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं हैं

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 626/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-12-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर